अपर उपायुक्त का न्यायालय,सरायकेला-खरसावॉं।

टी0ए0 मिस केस नं0- 24/2019-20

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
03-02-2020	**<u>आदेश</u>** आवेदक लखीकान्त प्रमाणिक, पिता-स्व0 केशव चन्द्र नापित (प्रमाणिक) जाति- नाई (पिछड़ा वर्ग), ग्राम+पो0-थाना - चौका, जिला-सरायकेला-खरसावॉं ने मौजा - दुबराजपुर, थाना- चाण्डिल, थाना नं0-206, खाता नं0-76, प्लॉट नं0-469, रकवा - 1.24 एकड़ में से 0.15 एकड़ जमीन को क्रेता - सुलेखा देवी, पति- शिशुपाल प्रमाणिक, जाति- नाई (पिछड़ा वर्ग) ग्राम- +पो0+थाना- चौका, जिला-सरायकेला-खरसावॉं के पास पारिवारिक खर्च के वास्ते रूपये की आवश्यकता होने के कारण अनुमानित बाजार मूल्य 22,50,000.00 (बाईस लाख पचास हजार) रू0 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(।) प्रोभिजों ''बी'' के अंतर्गत बेचे के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया है। जांच प्रतिवेदनानुसार आम सूचना निर्गत किया गया। किसी ने इस जमीन की बिक्री पर आपत्ति नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, चाण्डिल ने अपने पत्रांक-59, दिनांक-22.01.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता स्वयं खतियानी एवं पंजी-।। रैयत का पुत्र तथा स्वयं पंजी-।। रैयत है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। बिक्री के बाद आवेदक के पास 2.805 एकड़ भूमि शेष बचती है तथा आवेदक भूमिहीन नहीं होता है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में लखीकान्त प्रमाणिक, पिता-स्व0 केशव चन्द्र नापित (प्रमाणिक) ने आवेदित भूमि दुबराजपुर, थाना- चाण्डिल, थाना नं0- 206, खाता नं0-76, प्लॉट नं0-469, रकवा - 1.24 एकड़ में से 0.15 एकड़ जमीन को क्रेता - सुलेखा देवी, पति- शिशुपाल प्रमाणिक, जाति- नाई (पिछड़ा वर्ग) ग्राम- +पो0+थाना- चौका, जिला-सरायकेला-खरसावॉं को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) प्रोभिजों ''बी'' के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावॉं 03.02.20 अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावॉं	